

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

**दांडिक0प्र0क0-233 / 14**  
**संस्था0दि0 15 / 04 / 14**  
**फाईलनं. 233504001362014**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

**:- विरुद्ध :-**

प्रेमलाल पिता रमन बसदेवा, उम्र 23 वर्ष,  
 जाति बसदेवा, पेशा-भिक्षावृत्ति, नि0ग्राम रानीडोंगरी,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 21 / 11 / 2016 को घोषित)**

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 452 के तहत अभियोग है कि दिनांक 30 / 03 / 14 समय दोपहर 03:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रानीडोंगरी फरियादी का मकान, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी अंगद के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

2- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा- 294, 323 (तीन बार) एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप थे जिससे उसे दिनांक 15 / 11 / 16 को फरियादी अंगद आहत मंगल, भागवतीबाई के द्वारा किए गए राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30 / 03 / 14 को दोपहर करीबन 3 बजे की बात है। वह उसके घर के अंदर सोया हुआ था, उठकर उसने उसकी पत्नी दीपमाला को आवाज दिया, उसे प्यास लगी पानी पिला कहा चली गई कहकर चिल्लाया कि उसके गांव का प्रेमलाल बसदेवा उसके घर के पीछे रहता है। आवाज सुनकर आया और उससे कहने लगा आपने उसे गाली क्यों दिया तो उसने उससे बोला उसने कहा कि आपको कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी को बोला तो उसने उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दिया। तथा घर के अंदर घूसकर हाथ मुक्का एवं लकड़ी से उसे मारपीट किया जिससे उसे पीठ व दोनों हाथों के कोहनी के पास चोट आई है। उसकी माँ बचाने लगी तो उसे भी मारा माँ भागवती को बाँये पसली पर चोट आई है उसका लडका मंगल को भी मारा बाँये तरफ कमर में चोट आई है। घटना सरिकलाल, मुन्नीबाई, ने देखी है मुझे जान से मारने की धमकी दिया।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 252/14 भा.द.सं धारा- 294,323,452, 506 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 31/03/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 5 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- "क्या दिनांक 30/03/14 समय दोपहर 03:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रानीडोंगरी फरियादी का मकान, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी अंगद के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

**:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण**

7- अभियोजन साक्षी अंगद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी और उसके बीच गाली गलौच एवं मारपीट हुई थी। आरोपी ने उसकी माँ एवं उसके पुत्र मंगल के साथ भी मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना आमला में की थी उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 4 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का नक्शा मौका प्र0पी0 5 बनाया जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह को शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर यह अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 रिपोर्ट में उसने उसकी पत्नी से बोला है तो प्रेमलाल ने उसे माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ देने लगा, और घर के अंदर घुसकर हाथ मुक्का एवं लकड़ी से उसे मारपीट किया जिससे उसे पीठ पर दोनों हाथों में कोहनी के पास चोट आई की रिपोर्ट उसने लिखाई थी। आगे इस गवाह ने बताया है कि साक्षी को प्र0पी0 1 के उसकी पत्नी.....चोट आई की पुलिस रिपोर्ट पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर साक्षी कहा कि उसने पुलिस को ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई थी पुलिस ने कैसे लिख लिया वह कारण नहीं बता सकती।

8- आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपी से बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका पुत्र मंगल 8 साल का हैं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पुत्र मंगल की ओर से वह बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा कर रहा है। आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका वाद विवाद हुआ था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके घर के अंदर घुसकर कोई गाली गलौच मारपीट नहीं किया। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आई साक्ष्य से फरियादी अंगद के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध

करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया, यह स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 452 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी भागवती (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी एन0के0 रोहित (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 30/03/14 को सी.एच.सी. आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को श्रीमति भागवती बाई पति हनुमान थाना आमला के सैनिक शोभाराम नं. 221 द्वारा अस्पताल लाया था जिसे छाती में दर्द था परन्तु चोट का कोई निशान नहीं था। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उसने मंगल पिता अंगद उम्र 3 वर्ष जाति बसदेवा नि0 रानीडोंगरी का भी परीक्षण किया था। जिसे बांये स्क्रोत्म के पास 2 गुणित 1 से0 मी0 की सूजन एवं दर्द पाया गया था। आगे इस गवाह ने अभिमत में बताया कि चोट साधारण किस्म ककी थी कडे एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो फ्रेश थी उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 2 है जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उसने अंगद पिता हनुमान उम्र 30 वर्ष जाति बसदेवा नि0 रानीडोंगरी का परीक्षण किया था। चोट कं0 1 दाहिनी अग्रभुजा पर 4 गुणित 3 से0मी0 की सूजन एवं दर्द पाया गया था। चोट कं. 2 बांयी अग्रभुजा पर 3 गुणित 2 से0मी0 आकार का सूजन पाई गई थी। चोट नं. 3 बांये कंधे पर 3 गुणित 1 से0मी0 की आकार की सूजन पाई गई थी इनके साथ साथ उसके पीठ में दर्द था। आगे इस गवाह ने बताया है कि चोटें साधारण किस्म की थी जो कि कडे एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फ्रेश थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 3 है जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा आहतगण भागवती बाई, अंगद, मंगल के शरीर में पाई गई चोटों को अपनी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से बताया है। उक्त चोट आने के तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ६ टना दिनांक को आहतगण भागवती बाई, अंगद, मंगल के शरीर पर चोटें थी। किन्तु उक्त चोटों के संबंध में फरियादी वह आहतगण ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है जिस कारण से उक्त साक्षी की साक्ष्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी अंगद के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी अंगद के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार अभियुक्त प्रेमलाल को भा0दं0वि0 की धारा-452 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।  
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0